कार्यालय प्रधान आयुक्त
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
सी.जी.एस.टी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (गोपनीय), भोपाल
CGST, CUSTOMS & CENTRAL EXCISE(CONFIDENTIAL), BHOPAL
35-सी, जीएसटी भवन, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल
35-C, GST Bhawan, Administrative Area, Arera Hills, Bhopal (M.P)-462011
Tel.No.0755-2553401,2551771 Email: conf.cgstbpl@gov.in

I/3697381/2026 भोपाल, 01-01-2026

परिपत्र
CIRCULAR

विषय: सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2025 के लिए (01.01.2026 की स्थिति अनुसार) अचल संपत्ति विवरणी (Immovable Property Return–IPR) का प्रस्तुतिकरण – संबंध में।

Subject: Submission of Immovable Property Return (IPR) for the year 2025 as on 01.01.2026 by all Government Officers -regarding.

आयुक्तालय के सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2025 के लिए (01.01.2026 की स्थिति अनुसार) अचल संपत्ति विवरणी (IPR) वर्ष 2025 में प्रस्तुत की जानी है।

The Immovable Property Return (IPR) for the year 2025 (as on 01.01.2026) are due to be submitted by all Government Officers of the Commissionerate in the year 2025.

2 . सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOP&T) के कार्यालय ज्ञापनों, फाइल संख्या 11013/7/2014-Estt.A-III दिनांक 26.10.2015 एवं 05.01.2016 के अनुसार, समूह 'A', 'B', 'C' तथा पूर्ववर्ती समूह 'D' के प्रत्येक सरकारी सेवक को प्रत्येक वर्ष "31 दिसंबर की स्थिति अनुसार" वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें उनके द्वारा विरासत में प्राप्त/स्वामित्व में/अर्जित/पट्टे पर या बंधक के रूप में धारण की गई अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण दिया जाए, चाहे वह संपत्ति उनके अपने नाम पर हो, उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो।

2. In terms of Rule 18(1) (ii) of the CCS Conduct Rules 1964, DOP&T O.Ms. in F.No. 11013/7/2014- Estt.A-111 dated 26.10.2015 and 05.01.2016, every Government servants belonging to Group 'A', 'B', 'C' and erstwhile Group 'D' officers shall submit an annual return "as on 31st December" every year giving full particulars of immovable property inherited/ owned/ acquired /held by them on lease or mortgage either in their own name, or in any of their family member's name, or in any other person's name.

अतः वर्ष 2025 के लिए (01.01.2026 की स्थिति अनुसार) अचल संपत्ति विवरणी (IPR) समूह 'A', 'B', 'C' तथा पूर्ववर्ती समूह 'D' के सभी अधिकारियों द्वारा 31.01.2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी है।

Accordingly, Immovable Property Return (IPR) for the year 2025 (as on 01.01.2026) is required to be filed by all Group 'A', 'B', 'C' and erstwhile Group 'D' officers on or before 31.01.2026.

3 . तदनुसार, समूह 'A' के IRS (C&CE) अधिकारियों को अपना IPR SPARROW मॉड्यूल में

ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि पत्र C. No. 8/13/328/HRD(HRM)/IPR/2016 दिनांक 19.12.2016 में उल्लेखित है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. Accordingly, Group 'A' IRS (C&CE) Officers have to file their IPR online in SPARROW module as per letter C. No. 8/13/328/HRD(HRM)/IPR/2016 dated 19.12.2016 available on the website.

4 . मंत्रालय के पत्र F. No. A-29012/1/98-EC/PER दिनांक 20.01.1997 के अनुसार, जिन अधिकारियों के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में केवल 'NIL' IPR प्रस्तुत करनी होगी।

4. As per Ministry's letter F. No. A-29012/1/98-EC/PER dated 20.01.1997 where an officer has no Immovable property to report, 'NIL' IPR is to be submitted only in the prescribed proforma.

5. इस कार्यालय को अंतिम तिथि 31.01.2026 तक पूर्ण IPR अनिवार्य रूप से भेजी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आपके नियंत्रण/प्रभाराधीन सभी अधिकारियों ने IPR प्रस्तुत कर दी है।

5. The complete IPR be sent to this office latest by 31.01.2026 positively. Further, it should be ensured at your end that all officers under your control/charge have submitted the IPR.

6 . इसके अतिरिक्त, DOP&T के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.09.2011 के अनुसार, जो अधिकारी निर्धारित समय तक IPR प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें सतर्कता स्वीकृति (Vigilance Clearance) नहीं दी जाएगी तथा उन्हें भारत सरकार के किसी भी पद हेतु पैनल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

6. Further, as per DOPT's OM dated 29.09.2011, the officers who have not submitted IPR by the prescribed time would be denied vigilance clearance and will not be considered for empanelment to any posts in Government of India.

7 . सभी प्रभाग/अनुभागीय प्रमुखों को 31.01.2026 के तुरंत बाद अपनी प्रभाग/अनुभाग से संबंधित सभी IPRs इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होंगी, साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा कि कोई IPR लंबित नहीं है और उनकी प्रभाग /अनुभाग की सभी IPRs प्रस्तुत कर दी गई हैं।

7. All the Divisional/Sectional Heads are required to submit all IPRs to this office immediately after 31.01.2026 along with a certificate that no IPR is pending and all IPRs pertaining to their division /section have been submitted.

8 . यह परिपत्र प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

8. This issues with the approval of the Principal. Commissioner, CGST & Central Excise, Bhopal.

Digitally signed by
Kamal Kishore Somani
Date: 01-01-2026
16:00:03

(Kamalkishore Somani)
ASSISTANT COMMISSIONER

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल ज़ोन, भोपाल।
2. प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी.एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल।
3. संयुक्त निदेशक, महानिदेशालय वस्तु एवं सेवा कर आसूचना (DGGI), भोपाल आंचलिक इकाई, भोपाल।
4. अपर आयुक्त (निवारक) , सी.जी.एस.टी.एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल।
5. अपर निदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (NACIN), भोपाल।
6. उप/सहायक आयुक्त (भोपाल-I/II/III/IV, सागर, ग्वालियर-I/II)।
7. प्रशासनिक अधिकारी (AO), उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय (विधि / पुनरीक्षण / सांख्यिकी / तकनीकी / निर्णयन / निवारक / लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ / P&V / प्रशासन / आरटीआई / TRC)।
8. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी., सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल।
9. सूचना पट्ट / मुख्यालय / पर्यावास भवन, भोपाल।
10. वेब मास्टर, सी.जी.एस.टी.एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल।